

विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी
समाज कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढांचा

क. शासन स्तर पर :

1. प्रमुख सचिव
2. सचिव
3. अपर सचिव
4. उप सचिव
5. अनु सचिव
6. अनुभाग अधिकारी

ख. निदेशालय स्तर पर :

1. निदेशक
2. अपर निदेशक
3. संयुक्त निदेशक
4. उप निदेशक
5. मुख्य वित्त अधिकारी
6. सहायक निदेशक
7. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
8. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
9. प्रोबेशन अधिकारी
10. समूह "ग" कर्मचारी
11. जीप चालक
12. समूह "घ" कर्मचारी

ग. जनपद स्तर पर :

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी,
अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ
2. जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं स्टाफ

घ. विकास खण्ड स्तर पर :

1. सहायक समाज कल्याण अधिकारी

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा तद्विषयक लक्ष्य एवं नितियां

1.

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सूची—

1. निदेशालय अधिष्ठान
2. जिला कार्यालयों का अधिष्ठान
3. उत्तराखण्ड अन्य पिछडा वर्ग आयोग का गठन
4. पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति(100प्र.के.स.)
5. पिछडी जाति कक्षा 1 से 10तक की छात्रवृत्ति(50प्र.के.स.)
6. कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन
7. निःशक्तजन अधिनियम,1995 का क्रियान्वयन (100प्र.के.स.)
8. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें
9. दक्ष विकलांग कर्मचारियों तथा उनके सेवायोजको को पुरस्कार
10. विकलांग युवक/युवतियों को शादी करने पर प्रोत्साहन
11. विकलांगों हेतु शिविर/सेमिनारों का आयोजन
12. विकलांग छात्रवृत्ति
13. विलाग जन अधिनियम1995के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम
14. विकलांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन याजना—निगम
15. प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुर्नवास केन्द्र की स्थापना
16. निःशक्तजनों के द्वारा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति
17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान योजना
18. विकलांग पेंशन (राज्यांश)
19. विकलांग व्यक्तियों हेतु दुकान निर्माण याजना
20. समेकित बाल संरक्षण योजना(आई.सी.पी.एस.)
21. परिवीक्षा सेवा क्षेत्र
22. बाल कल्याण कोट बोर्ड की स्थापना
23. संस्थानों/गृहों का संचालन
24. स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन
25. महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना
26. अनैतिक व्यापार निरोधक अधि.1956 के सं0 की स्थापना
27. गौरा देवी कन्याधन योजना
28. मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन
29. निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान—राज्यांश
30. निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान—केन्द्रांश
31. विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन
32. महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति
33. परिवीक्षा सेवा मुख्यालय
34. परित्यक्त,निराश्रित,मानसिक विकत व्यक्ति की पत्नी का भरण—पोषण अनुदान

35. विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार
36. बृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह
37. भिक्षावृत्ति का निवारण
38. वृद्ध,अशक्त,नि. निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण
39. मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान
40. अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
41. निराश्रित विधवाओं की पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान
42. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन
43. विकलांग बेरोजगारों के कौ बृद्धि प्र.यो.—निगम
44. योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार—प्रसार
45. वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति
46. समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति
47. भिक्षावृत्ति नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन
48. सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण
49. सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत वृद्धावस्था पेंशन
50. पेंशन शिविरो का आयोजन
51. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (एन0एस0ए0पी0) (100प्र.के.स.)
52. जनश्री बीमा योजना—निगम
53. पिछडी जाति निगम हेतु अंशपूजी
54. जिला मुख्यालयों पर अन्य पिछडे वगो के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण 100प्र.के.स.
55. विकलांग प्रशिक्षण हेतु भूमि क्रय,निर्माण
56. समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (75प्र.के.स.)
57. स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण
58. 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरो हेत राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण
59. किशोरन्याय(बालकों का संरक्षण)अर्न्तगत गृहों का निर्माण
60. 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं ,महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण
61. विकलांगों के लिये छात्रावास का निर्माण 90प्र.के.स.
62. वृद्ध,अशक्त आवास गृह निर्माण
63. विकलांग स्वरोजगार अंश पूजी—निगम

64. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50प्र0के0स0)
65. अनुसूचितजाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय
66. औद्योगिक आस्थान अधिष्ठान व्यय
67. अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100प्र0के0स0)
68. मेरिट उच्चकृत छात्रवृत्ति(100प्र0के0स0)
69. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
70. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
71. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना
72. अनुसूचित जाति छात्रावास
73. गौरा देवी कन्या धन योजना
74. अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति
75. अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति 50प्र.के.स.
76. पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार
77. हाई स्कूल तथा इण्टर के अनुसूचित जाति के छात्रों की परीक्षा पूर्व कौचिंग की योजना
78. परीक्षा पूर्व शुल्क क्षतिपूर्ति
79. अनु. जाति राजकीय छात्रावासों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण
80. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण
81. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण सं. का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण
82. स्पे.कम्पो. प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-निगम (100प्र0के0स0)
83. अनुसूचित जातियों के विकास के लिये परियोजना हेतु सहायता
84. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना-निगम
85. शिल्पी ग्राम योजना-निगम
86. नागरिक अधिकार (संरक्षण)अ. 1956 का क्रियान्वयन(50प्र0के0स0)
87. अनु0जाति/जनजाति कल्याण सं. से. / कर्मशाला
88. अटल आवास योजना
89. अनु0जाति के व्यक्तियों की बीमारी तथा पुत्रियों की शादी अनु.
90. स्वरोजगार अंशपूँजी-निगम
91. बाबू जनगजीवन राम बालिका छात्रावास का निमाण 100प्र.के.स.
92. छात्रावासों का निर्माण(50प्र0के0स0)
93. आई0टी0आई का भवन निर्माण
94. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण
95. अनु.जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास
96. निदेशालय का भवन निर्माण

विभाग के लक्ष्य एवं नीतियां—

विभाग की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, विकलांगों, वृद्धजनों, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाना है। समाज कल्याण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, विकलांग एवं पिछड़ी जाति के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।

विभाग द्वारा महिला कल्याण से सम्बन्धित योजनायें—

महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित मुख्य योजनाओं में सभी वर्गों के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बालिका को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहन करने हेतु गौरा देवी कन्याधन, निराश्रित विधवाओं को विधवा पेंशन, निराश्रित विधवाओं की पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की पुत्रीयों की शादी हेतु अनुदान, विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुस्कार दिया जाना एवं बालिका निकेतन, नारी निकेतन, महिला शरणालय आदि का संचालन किया जाना है परित्यक्त, निराश्रित, मानसिक विकत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान विभाग द्वारा संचालित संस्थओं में निवासरत संवासियों का पुर्नवासन आदि है।

2.

विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2013-14की) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना-

विभाग का नाम- समाज कल्याण विभाग।

विभाग द्वारा प्रस्तावित (203-14 की)प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना-

(धनराशि रु. हजार में)

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2225-01-01-001-03-मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	15697		15697		वित्तीय वर्ष	निदेशालय स्तर पर कार्यरत स्टाफ द्वारा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सूचारु रूप से किये गये कार्यों के एवज में वेतन भुगतान हेतु।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2225-01-001-05-जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	—उपरोक्त—	100471		100471		वित्तीय वर्ष	जनपद स्तर पर कार्यरत स्टाफ द्वारा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सूचारु रूप से किये गये कार्यों के एवज में वेतन भुगतान हेतु।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या- 15 2225-03-001-04-उत्तरांचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान	समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं, का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग की स्थापना	5718		5718		वित्तीय वर्ष	आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु किये गये कार्यों के एवज में नियुक्त मा0अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कार्यरत स्टाफ के मानदेय तथा वेतन भत्तों का भुगतान।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2225-03-277-01-03-अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक एवं प्राविधिक स्तर में सुधार किये जाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन	72500	128000	72500	128000	वित्तीय वर्ष	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को शैक्षणिक स्तर उँचा करने हेतु उन्हें उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये 55000 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2225-03-277-01-04-पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।	27000	12000	27000	12000	वित्तीय वर्ष	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये 48500 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-01-800-03-कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन का भुगतान कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	600		600		मासिक	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु मासिक पेंशन के रूप में धनराशि का भुगतान कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी जिससे 43 विस्थापित परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।		मासिक
अनुदान संख्या-15 22235-02-101-01-01-नि:शक्त जन अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन	सार्वजनिक स्थलों में नि:शक्तजनों को बैरियर फ्री सुविधा उपलब्ध कराया जाना।		1001		1001	वित्तीय वर्ष	विकलांगन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु नि:शक्तजनों को सार्वजनिक स्थलों में बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-01-101-04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	विकलांगों को स्वालम्बी जीवन यापन हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	8036		8036		वित्तीय वर्ष	नि:शक्तजनों को उनके स्वरोजगार हेतु उनकी कार्यक्षमता के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण कराया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-05-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार	विकलांग दिवस 03 दिसम्बर को दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाना।		700		700	प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार स्वरूप धनराशि, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित करना। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 50 दक्ष विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने का लक्ष्य है।		प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-07-विकलांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	सामान्य युवक/युवती द्वारा विकलांग युवक/युवती से शादी करने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना।	2000		2000		वित्तीय वर्ष	विकलांग युवक/युवतियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विवाह करने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाना। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 165 विकलांग दम्पतियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य है।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-08-विकलांगों हेतु शिविर एवं सेमिनारों का आयोजन किया जाना	विकलांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु शिविर एवं सेमिनार आयोजित किया जाना।	150		150		वित्तीय वर्ष	विकलांग कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी देने एवं शिविर आयोजित कर पेंशन के आवेदन पत्रों को शिविर में ही स्वीकृत किया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-09-विकलांग छात्रवृत्ति योजना	विकलांग बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना।	2500	2000	2500	2000	वित्तीय वर्ष	विकलांग अभिवाकों एवं विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4000 विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-11-विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	विकलांगों के हितों की रक्षा हेतु अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	1963	1001	1963	1001	वित्तीय वर्ष	विकलांग अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित आयुक्त विकलांग अधिष्ठान के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-13-विकलांग के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन	विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना एवं स्वतः रोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना		2000		2000	वित्तीय वर्ष	विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वतःरोजगार करने हेतु प्रोत्साहित करना		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-16-प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर विकलांगों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर विकलांगों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना		1		1	वित्तीय वर्ष	-		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-17-निःशुल्क जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति	निःशुल्क जनों को राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना		10000		10000	वित्तीय वर्ष	उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना तथा उनके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड परिवहन निगम को किया जायेगा		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-19-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक अनुदान	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को स्वालम्बी बनाने हेतु कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र उपलब्ध करना		1500		1500	वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-07-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग आदि के लिए सहायता			1900		1900				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-09-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग आदि के लिए सहायता			400		400				

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि उपलब्ध कराया जायेगा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1085 विकलांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-20-निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण अनुदान	निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर स्वाम्बी जीवन यापन करने के लिये प्रयास करना।		280001		280001	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013-14 में 53500 निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-08-नेत्रहीन, मूक तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान			75000		75000				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान			20000		20000				
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-91-04-विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण योजना	विकलांगों को स्वतः रोजगार हेतु न्यूनतम ब्याज दरों पर दुकान निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराना		1		1	-	-		-
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-91-04-विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण योजना			1		1				
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-01-23-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत स्थापित गृहों / संस्थानों का संचालन किया जाना		10000		10000	वित्तीय वर्ष	समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का क्रियान्वन किया जायेगा		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-04-परिवीक्षा क्षेत्र अधिष्ठान	महिला कल्याण द्वारा संचालित संस्थाओं का सफल क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	11635		11635		वित्तीय वर्ष	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं के सफल संचालन किये जाने हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि का भुगतान।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-05-बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	बाल अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कोर्ट बोर्ड अधिष्ठान की स्थापना	5057		5057		वित्तीय वर्ष	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड के संचालन किये जाने हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि का भुगतान।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-07-संस्थानों/ गृहों का संचालन	महिला कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों/ गृहों के संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	57492	7110	57492	7110	वित्तीय वर्ष	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में निवासरत संवासियों के भोजन, वस्त्र आदि के भुगतान एवं इस हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि का भुगतान।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-10-स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन कर उनकी समुचित देख भाल करना एवं प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना।		2000		2000	वित्तीय वर्ष	नाबालिग स्ट्रीट चिल्ड्रनों हेतु गृह का संचालन कर उनको प्रारम्भिक शिक्षा दिलाया जाना तथा समुचित देखभाल करना।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-03-महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना	घरेलु महिलाओं घरेलु उत्पादों को निर्मित करने तथा स्वालम्बि बनाने कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों हेतु अधिष्ठान की स्थापना।	397		397		-		-	-
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-09-अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्धार संगठनों की स्थापना	अधिनियम 1956 के क्रियान्वयन हेतु उद्धार संगठन के अन्तर्गत अधिष्ठानों की स्थापना	837		837		-		-	-
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-12-गौरा देवी कन्या धन योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।		350000		350000	वित्तीय वर्ष		बी0पी0एल0परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिये रु. 25000/- की एन0एस0सी0अथवा एफ0डी0 देकर लाभान्वित किया जाना। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 17000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-13-अनु0जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्याधन योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।		75000		75000				
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-14-मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं को आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु संस्था की स्थापना		1		1	-		-	-

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-15-निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनके स्वालम्बी जीवन यापन हेतु भरण पोषण अनुदान दिया जाना।	190000	160000	190000	160000	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2013-14 में 110000 निराश्रित विधवाओं को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-02-103-02-01-निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की व्यवस्था हेतु		80000	60000	80000	60000				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-03-निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु		7850	17500	7850	17500				
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-16-विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन	महिला कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में निरुद्ध संवासियों का पुर्नवासन किये जाने हेतु प्रारम्भ में आवश्यक वस्तुओं को कय किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराना		2000		2000	वित्तीय वर्ष	प्रोबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में निवासरत 25 संवासियों का पुर्नवासन किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-17-महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सामान्य जाति की छात्राओं को विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना।		500		500	वित्तीय वर्ष	सामान्य जाति की बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 50 महिलाओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-19-परिवीक्षा क्षेत्र मुख्यालय का अधिष्ठाण	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का समुचित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु नियुक्त स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान।	5518		5518		वित्तीय वर्ष	प्राबेशन सेक्टर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं एवं योजनाओं के निर्देशन, क्रियान्वयन, संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते आदि के भुगतान किये जाने हेतु।		वित्तीय वर्ष
परित्यक्त, निराश्रित मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण पोषण अनुदान	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन का भुगतान किया जाना।		0		0	-	-		-
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-91-01-विधवाओं को विवाह करने पर दम्पति को	विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया जाना		330		330	वित्तीय वर्ष	विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि देकर 36 दम्पतियों को लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-02-103-91-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को			55		55				
अनुदान संख्या- 31 2235-02-796-91-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया			11		11				

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-104-03-बृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	60 वर्ष के अधिक आयु के निराश्रित बृद्ध एवं दुर्बल निःसहाय व्यक्तियों हेतु स्थापित बृद्ध अशक्त गृह के संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते एवं वृद्धों को भोजन वस्त्र आदि हेतु अधिष्ठान की स्थापना	2739		2739		वित्तीय वर्ष	निराश्रित,अशक्त,दुर्बल एवं निःसहाय व्यक्तियों हेतु संचालित बृद्ध अशक्त गृह में बृद्धों को आवसीय एवं भोजन,वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराना एवं इस हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-104-04-भिक्षावृत्ति का निवारण	भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु जनपद हरिद्वार में संचालित भिक्षुक गृह में निरुद्ध भिक्षुओं के भोजन,वस्त्र आदि की व्यवस्था एवं सस्था के संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु अधिष्ठान की स्थापना।	6335		6335		वित्तीय वर्ष	भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु जनपद हरिद्वार में संचालित भिक्षुक गृह में निरुद्ध भिक्षुओं के भोजन,वस्त्र आदि की व्यवस्था एवं सस्था के संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु अधिष्ठान की स्थापना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-104-05-बृद्ध,अशक्त, निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण	विभाग द्वारा संचालित बृद्ध गृह एवं भिक्षुक गृह के अनुरक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था करना		100		100	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा निर्मित बृद्ध गृह एवं भिक्षुक गृह की मरम्मत आदि का कार्य किया जाना।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-107-03-मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों को अनुदान	गरीब निर्धन तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु अधिष्ठान की स्थापना	700		700		वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति की निर्धन गरीब बालिकाओं को जिन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान किये जाने हेतु।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-107-04-संस्था,व्यक्ति को करुणा सम्मान	उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने पर संस्था को करुणा सम्मान दिया जाना		1		1	-		-	-
अनुदान संख्या-15 2235-02-107-91-अनाथों से दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों संस्थाओं का सहायता	संगठनों को सहायता दिया जाना	400		400		वित्तीय वर्ष		अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता दिया जाना।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-04-निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।	2500		2500		वित्तीय वर्ष		निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु अनुदान देकर आर्थिक सहायता दी जायेगी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 250 विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-05-अन्तर्जातीय/ अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	जात-पात का भेदभाव मिटाने हेतु अन्तर्जातीय/ अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया जाना।	250		250		वित्तीय वर्ष		अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं धनराशि दिये जाने का प्राविधान है वित्तीय वर्ष 2013-14 में 25 दम्पतियों को पुरस्कृत किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-06-विकलांग बेरोजगारों को कोशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना	विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उनके कोशल में बृद्धि करना		500		500	-		-	-

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-07-योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार	विभागीय योजनाओं की जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना		2000		2000	वित्तीय वर्ष	विभागीय योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-08-वरिष्ठ नागरिक एवं बृद्धजन कल्याण समिति	कल्याण समिति द्वारा अनुश्रवण एवं योजनाओं का संचालन		1		1	-	-		-
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-08-समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	गठित समिति द्वारा विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण किया जाना		500		500	-	-		-
अनुदान संख्या- 15 2235-02-800-12-भिक्षावृत्ति का निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन	अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भिक्षावृत्ति जैसी कुप्रथा को समाप्त करना ।		50		50	-	-		-
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-91-सम्प्रेक्षण गृहों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाना		3000		3000	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा निर्मित संस्थाओं के मरम्मत आदि का कार्य किया जाना ।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-60-102-05-सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन दिया जाना	172500	512300	172500	512300	वित्तीय वर्ष	60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशन पा रहे वृद्धों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में अभी तक पूर्ण पेंशन राज्यांश से प्राप्त कर रहे 75000 पेंशनरों को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-60-102-02-01-वृद्धावस्था किसान पेंशन			287500		287500				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-08-वृद्धावस्था किसान पेंशन			67950		67950				
अनुदान संख्या-15 2235-60-102-91-पेंशन शिविरों का आयोजन	शिविरों का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था,विधवा एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत किया जाना		3000		3000	वित्तीय वर्ष	वृद्धजनों को उनके निकट क्षेत्रों में शिविर लगाकर पेंशन स्वीकृत कर धनराशि का वितरण किया जाना		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत पात्र निराश्रित वृद्धजनों, को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन का भुगतान किया जाना।		566500		566500	वित्तीय वर्ष	60 वर्ष से अधिक आयु के 260000 बी0पी0एल0 निराश्रित वृद्धजन जिन्हें केन्द्रांश से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है को उनके भरण-पोषण हेतु केन्द्र द्वारा प्राप्त धनराशि से पेंशन की धनराशि भुगतान की जायेगी।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0)			259050		259050				
अनुदान संख्या-31 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			51500		51500				
अनुदान संख्या-15 2235-60-800-06-गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिये जनश्री बीमा योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के मुखिया की दुर्घटना एवं स्वभाभिवक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	300	49070	300	49070	वित्तीय वर्ष	623790 बी0पी0एल0परिवारों को उनकी आर्थिक सुरक्षा हेतु परिवार के मुखिया की मृत्यु पर दिये जाने वाले बीमा की धनराशि के लिये प्रिमियम की धनराशि का भुगतान किया जाना।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2235-60-800-04-आदिम जनजाति आदि हेतु जनश्री बीमा कम्पनी को प्रिमियम			745		745				
अनुदान संख्या-31 2235-60-800-04-निर्वल वर्ग एवं आदिम जनजाति हेतु जनश्री योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रिमियम			185		185				

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4225-03-190-03-पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी	पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अधिकृत अंशपूंजी हेतु।		2000		2000	वित्तीय वर्ष		निगम को उसकी अधिकृत अंशपूंजी हेतु धनराशि का दिया जाना।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-15 4225-03-277-01-01-जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पिछड़ी जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावासों का निर्माण		15000		15000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर		द्वाराहाट में पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 1 एवं छात्राओं के लिये 1 छात्रावास निर्माणाधीन है तथा 1 छात्रावास टिहरी में निर्माण किय जाने हेतु प्रस्तावित है।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-15 4235-02-101-05-विकलांग प्रशिक्षण हेतु भवन का निर्माण	विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण		2500		2500	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर		विभाग द्वारा संचालित विकलांग कर्मशालायें जो कि किराये के भवन पर संचालित है के लिये विभागीय भवन के निर्माण हेतु धनराशि का भुगतान किया जाना वर्तमान में पिथौरागढ़ में 1 विकलांग कर्मशाला का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-01-06-समेकित बाल संरक्षण योजना	जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु भवन का निर्माण।		5000		5000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं के लिये विभागीय भवन के निर्माण किया जायेगा		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-03-स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	अनाथ बच्चों हेतु आवासीय व्यवस्था हेतु गृह का निर्माण		10000		10000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	हरिद्वार एवं देहरादून में स्ट्रीट चिल्ड्रन को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-04-10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	निराश्रितों हेत आश्रय गृह का निर्माण		500		500	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	जनपद अधोईवाल देहरादून में 10 वर्षीय बालको के लिये आश्रय गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-15 4235-02-103-06-किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं के लिये भवन का निर्माण		10000		10000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	निर्माणाधीन शिशु बाल गृह अल्मोडा, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह उत्तरकाशी एवं राजकीय नारी निकेतन,केदारपुरम के परिसर में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4235-02-103-08-मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का निर्माण	महिलाओं हेतु आवास गृह का निर्माण		1000		1000	-		-	-
अनुदान संख्या-15 4235-02-104-01-01-विकलांगजनों के लिये छात्रावास का निर्माण	विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रावास का निर्माण		1		1	-		-	-
अनुदान संख्या-15 4235-02-104-04-वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह का	निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण		1500		1500	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	चमोली में निर्माणाधीन वृद्ध अशक्त गृह के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-15 4235-02-190-03-विकलांगों हेतु स्वरोजगार	निगम को अंशपूजी दिया जाना		500		500	-		-	-
अनुदान संख्या-30 2225-01-001-06-समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना	स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वित करना	2000		2000		वित्तीय वर्ष	बोर्ड को संचालित किये जाने के लिये आवश्यक व्ययों हेतु धनराशि का भुगतान		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-001-07-एस.सी.पी./टी.एस. पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संचालित योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं सम्पादन करना	6628		6628		वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिये स्थापित एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं संचालन किये जाने हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-001-08-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग	समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग की स्थापना	4373		4373		वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में कार्यरत मा0अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय भत्तों एवं कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्त आदि के भुगतान हेतु।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-102-03-औद्योगिक आस्थान की स्थापना	औद्योगिक आस्थान में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	953		953		वित्तीय वर्ष	औद्योगिक आस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्त आदि के भुगतान हेतु।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-01-01-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति	दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले जिन छात्रों के अभिवावकों की वार्षिक आय रु.2.00 लाख से कम है उन अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराकर शैक्षिक स्तर को उठाना।	155000	450000	155000	450000	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 81000 छात्र/छात्राओं को वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान कर लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-01-04-अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चकृत छात्रवृत्ति योजना	अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र/छात्राओं को कक्षा 9से 12 तक रेमिडियल कोचिंग प्रदान करना		1000		1000	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के 20 मेधावी छात्रों को रेमेडिल कोचिंग कराकर इन्जीनियरिंग तथा मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु तैयार किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-01-05-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराकर शैक्षिक स्तर को उठाना।		150000		150000	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययन करने वाले 66650 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	18328		18328		वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-06-आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, बस्त्र एवं आवासीय सुविधा दिया जाना	28490	5868	28490	5868	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-07-अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु कोचिंग	रुपये 2.00 लाख के कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पूर्व तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किया जाना		5000		5000	शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से पूर्व प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।		शैक्षणिक सत्र
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-12-अनुसूचित जाति छात्रावास	अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालयों में अध्ययनरत अवधि में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावासों का संचालन	12468		12468		शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आवासीय एवं भोजन की व्यवस्था करायी जायेगी।		शैक्षणिक सत्र

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-16-अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों का शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं विस्तार किया जाना	150000	140000	150000	140000	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 370000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-01-अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों /माता-पिता के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना		2000		2000	वित्तीय वर्ष	अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया जायेगा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1100 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-02-पुस्तकालयों/ छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार विस्तार	स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पाठशालाओं/ छात्रावासों का संचालन।	4000	11000	4000	11000	शैक्षणिक सत्र	जिन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/ छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।		शैक्षणिक सत्र

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम्		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-03-हाईस्कूल तथा इण्टर मीडिएट की अन्तिम परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवस्था	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा हेतु गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में कोचिंग प्रदान किया जाना		150		150	शैक्षणिक सत्र	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये कोचिंग दी जायेगी।		शैक्षणिक सत्र
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-04-पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 एवं 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को क्षतिपूर्ति किया जाना		1500		1500	वित्तीय वर्ष	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने हेतु विद्यालय को शुल्क की पूर्ति की जायेगी।		शैक्षणिक सत्र
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-09-अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावासों का सुदृढीकरण	विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित छात्रावासों को अनुरक्षण		1500		1500	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के मरम्मत,रंगाई,पुताई आदि किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-10-राजकीय अनुसूचित जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण		500		500	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के मरम्मत,रंगाई,पुताई आदि किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-11-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण		2554		2554	वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्थानों के मरम्मत,रंगाई,पुताई आदि किया जायेगा।		वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट/ड) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/ड) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-793-01-06-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जीवन यापन हेतु स्वतःरोजगार उपलब्ध कराकर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना		50000		50000	वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को स्वतःरोजगार के लिये मार्जिन मनी की धनराशि उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-05-अनुसूचित जातियों के विकास के लिये परियोजना हेतु सहायता	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु परियोजना स्थापित कर उनकी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना		3		3		-		
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-06-अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्राप्ति योजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन		1000		1000	वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-07-शिल्पी ग्राम योजना	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को विभाग द्वारा स्थापित शिल्प ग्राम में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना		1000		1000	वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को शिल्प ग्राम में रोजगार करने हेतु दुकान उपलब्ध कराकर ऋण प्रदान किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-08-नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 156 का क्रियान्वयन	अनुसूचित जाति के अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्ति को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना		4000		4000	वित्तीय वर्ष		अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-11-अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार कार्यशाला सर्वेक्षण शोध प्रचार प्रसार	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कार्यशाला, शोध एवं प्रचार प्रसार कर जनसामान्य तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाना		1500		1500	वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-15-अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के आवास विहीन व्यक्तियों हेतु अटल आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराना		30000		30000	वित्तीय वर्ष		अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास निर्मित किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिससे वे आवास का निर्माण करा सकें।	वित्तीय वर्ष

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-91-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ।		40000		40000	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जायेगा, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2500 परिवारों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा ।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 4225-01-190-03-स्वरोजगार अंशपूँजी	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास नि0लि0 को अधिकृत अंशपूँजी उपलब्ध कराना		4000		4000		निगम को उसकी अधिकृत अंशपूँजी हेतु धनराशि का दिया जाना ।		
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-01-01-वावू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण	ग्रामिण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना		35275		35275	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	जनपद हरिद्वार,अल्मोडा,बागेश्वर,पिथौरागढ एवं देहरादून में अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-02-अनुसूचित जाति छात्रावास	अनुसूचित जाति के बालकों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना		5000		5000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	निर्माणाधीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास,पैठाणी एवं चौरास-पौडी गढवाल के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम		समय सीमा
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-03-अनुसूचित जाति हेत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण		5000		5000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	निर्माणाधीन आई0टी0आई0पाइस-नैनीताल के भवन निर्माण को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-04-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को प्राईमरी शिक्षा की सुविधा निःशुल्क शिक्षा, आवासीय एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास का निर्माण		10000		10000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर - पौड़ी गढ़वाल के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
अनुदान संख्या-30 4225-01-800-03-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें जैसे पेयजल,सडक विद्युत,सार्वजनिक भवन निर्माण आदि उपलब्ध कराना		500000		500000	वित्तीय वर्ष	राज्य के सभी जनपदों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को विकास किया जाना प्रस्तावित है।		वित्तीय वर्ष
अनुदान संख्या-30 4235-02-800-03-निदेशालय का भवन निर्माण	निदेशालय के स्वयं का भवन निर्माण कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराकर कार्यक्षमता का बढाना		5000		5000	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर	निदेशालय के आवासीय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
कुल योग-		1163385	4534816	1163385	4534816				

3.

विभाग द्वारा किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल-

विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था,विधवा एवं किकलांग पेंशन को ई नेटवर्किंग के माध्यम से सीधे उनके खाते में धनराशि हस्तान्तरित कर पेंशन भुगतान किया जाना। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति,पिछडी जाति के गरीब छात्रों को छात्रवृति का भुगतान उनके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना है निर्धारित आउट पुट/आउट कम प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लाभार्थियों को समयान्तर्गत योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के विवरण (वर्ष 2012-13)

(धनराशि रु. हजार में)

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2225-01-01-001-03-मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	14007		14007		विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं सम्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर कार्यरत आवश्यक स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जा सका जिससे विभागीय योजनाओं सम्पादन सफलतापूर्वक किया जा सका।			
अनुदान संख्या-15 2225-01-001-05-जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	---उपरोक्त---	90739		90602		विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशनरों तथा छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पूर्व से स्वीकृत एवं नवीन स्वीकृत पात्र व्यक्तियों का चयन कर नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी इस कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक स्टाफ के वेतन भत्ते आदि के भुगतान पर धनराशि व्यय की गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या- 15 2225-03-001-04-उत्तरांचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान	समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं, का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग की स्थापना	5027		5026		पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं, का सम्पादन अनुश्रवण एवं इनसे सम्बन्धित समस्याओं का आयोग के माध्यम से निस्तारित किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2225-03-277-01-03-अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक एवं प्राविधिक स्तर में सुधार किये जाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन	7000	493561	7000	114962	दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के 20532 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध करायी गयी जिस पर रु.1219.57 लाख की धनराशि का व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-15 2225-03-277-01-04-पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।	12000	27000	27000	12000	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 47189 छात्र/छात्राओं को छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जिस पर रु. 386.77 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-01-800-03-कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन का भुगतान कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	600		540		कश्मीर से आये 43 विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन दिये जाने का प्राविधान है वर्ष 2012-13 में रु. 5.40 लाख की धनराशि व्यय कर 43 परिवारों को पेंशन का भुगतान कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी।			
अनुदान संख्या-15 22235-02-101-01-निःशक्तजन अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन	सार्वजनिक स्थलों में निःशक्तजनों को बैरियर फ्री सुविधा उपलब्ध कराया जाना।		1106		1105	जनपद मुख्यालयों में स्थित सार्वजनिक स्थलों में निःशक्तजनों को बैरियर फ्री सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर एवं उत्तरकाशी में सार्वजनिक स्थलों में बैरियर फ्री की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रु. 11.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।			
अनुदान संख्या-15 2235-01-101-04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	विकलांगों को स्वालम्बी जीवन यापन हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	7226		7219		विभाग द्वारा जनपद टिहरी, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल में विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जान हेतु विकलांग कर्मशालाओं का संचालन किया जा रहा है वर्ष 2012-13 में 5 विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।			

अनुदान संख्या-15 2235-02-101-07-विकलॉग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	विकलॉग युवक अथवा युवति से सामान्य युवक/युवती द्वारा शादी करने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना।	2000		2000		विकलॉग युवक अथवा युवति से सामान्य युवक/युवती द्वारा शादी करने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन कर समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्राविधान है वर्ष 2012-13 में रु.14 20 लाख की धनराशि व्यय कर 97 विकलांग दम्पतियों को पुरस्कृत किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-08-विकलांगों हेतु शिविर एवं सेमिनारों का आयोजन किया जाना	विकलांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु शिविर एवं सेमिनार आयोजित किया जाना।	150		150		विकलांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु शिविर एवं सेमिनार आयोजित किये जाने का प्राविधान है वर्ष 2012-13 में रु. 1.39 लाख की धनराशि व्यय कर जनपद स्तर पर 15 शिविर आयोजित किये गये।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-09-विकलांग छात्रवृत्ति योजना	विकलांग बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना।	2500	2000	2500	2000	विकलांग बच्चों एवं विकलांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है वर्ष 2012-13 में 35.82 लाख की धनराशि व्यय कर 3767 विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-11-विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	विकलांगों के हितों की रक्षा हेतु अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	1767	1001	1763		विकलांगों के हितों की रक्षा हेतु अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-13-विकलांग के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना एवं स्वतः रोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना		2000		2000	विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर स्वतः रोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-16-प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर विकलांगों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर विकलांगों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना		6500			-			
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-17-निःशक्त जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति	निःशक्त जनों को राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना		8000		12775	40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों एवं उनके सहवर्ती को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है वर्ष 2012-13 में रु. 127.75 लाख की धनराशि व्यय कर विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-19-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक अनुदान	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को स्वालम्बी बनाने हेतु कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र उपलब्ध करना		1500		1500	वित्तीय वर्ष 2012-13 में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान योजनान्तर्गत कुल रु. 24.55 लाख की धनराशि व्यय की गयी जिससे 644 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-07-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग आदि के लिए सहायता			1900		1900				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-09-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग आदि के लिए सहायता			400		400				

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-20-निराश्रित विकलोग व्यक्तियों को भरण पोषण अनुदान	निराश्रित विकलोग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर स्वालम्बी जीवन यापन करने के लिये प्रयास करना।		275645		275645	वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलांग भरण-पोषण योजनान्तर्गत राज्यांश मद में रु. 3786.55 एवं केन्द्रांश मद में रु. 101.60 लाख की धनराशि व्यय कर 52417 निःशक्तजनों को पेंशन की धनराशि भुगतान कर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-08-नेत्रहीन,मूकतथा शारीरिक रूप विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान			62000		82641				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-07-नेत्रहीन,मूक,बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान				20420			20420		
अनुदान संख्या-15 2235-02-101-91-04-विकलोग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण योजना	विकलोगों को स्वतः रोजगार हेतु न्यूनतम व्याज दरों पर दुकान निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराना		1			-			
अनुदान संख्या-30 2235-02-101-02-91-04-विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण योजना				1					
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-01-23-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत स्थापित गृहों /संस्थानों का संचालन किया जाना		10000			-			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-04-परिवीक्षा क्षेत्र अधिष्ठान	महिला कल्याण द्वारा संचालित संस्थाओं का सफल क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिष्ठान की स्थापना	9706		9708		महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं एवं संस्थाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-05-बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	बाल अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कोर्ट बोर्ड अधिष्ठान की स्थापना	3510		3634		बाल अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु बाल कल्याण कोर्ट -बोर्ड की स्थापना अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर धनराशि व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-07-संस्थानों/ गृहों का संचालन	महिला कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों/ गृहों के संचालन हेतु अधिष्ठान की स्थापना	50673	6261	50670	6250	महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित, नारी निकेतन, सम्पेक्षण गृह, महिला शरणालय, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं विशेष में निवारसरत संवासियों के भोजन, वस्त्र, आवासीय सुविधा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करायी गयी।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-102-10-स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन कर उनकी समुचित देख भाल करना एवं प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना।		1500			-			-

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-03-महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना	घरेलु महिलाओं घरेलु उत्पादों को निर्मित करने तथा स्वालम्बि बनाने कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों हेतु अधिष्ठान की स्थापना।	360		360		घरेलु महिलाओं घरेलु उत्पादों को निर्मित करने तथा स्वालम्बि बनाने कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-09-अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन उद्धार संगठनों की स्थापना	अधिनियम 1956 के क्रियान्वयन हेतु उद्धार संगठन के अन्तर्गत अधिष्ठानों की स्थापना	740		740		अधिनियम 1956 के क्रियान्वयन हेतु उद्धार संगठन के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का लागू किये जाने हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि का भुगतान किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-12-गौरा देवी कन्या धन योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।		561050		561050	वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बालिका को रु. 25000/- की			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-13-अनु0जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्याधन योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।		60000		60000				
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-14-मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मानसिक रूप से विकसित महिलाओं को आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु संस्था की स्थापना		500			-			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-15-निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनके स्वालम्बी जीवन यापन हेतु भरण पोषण अनुदान दिया जाना।	170000	165700	170000	165700	वित्तीय वर्ष 2012-13 में विधवा भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत राज्यांश मद में रु. 4667.44 लाख एवं केन्द्रांश मद में रु. 369.54 लाख की धनराशि व्यय कर 107690 विधवाओं को पेंशन का भुगतान कर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-02-103-02-01-निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की व्यवस्था हेतु अनुदान		65000	52000	65000	52000				
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-03-निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान		7820	17200	7820	17200				
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-16-विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्त्तवासियों का पुर्नवासन	महिला कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में निरूद्ध संवासियों का पुर्नवासन किये जाने हेतु प्रारम्भ में आवश्यक वस्तुओं को क्य किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराना		2000			-			
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-17-महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सामान्य जाति की छात्राओं को विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना।		500		167	बी0पी0एल0 परिवार की सामान्य जाति की 28 महिलाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-19-परिवीक्षा क्षेत्र मुख्यालय का अधिष्ठान	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का समुचित क्रियान्वन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु नियुक्त स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान।	1618	3	1601		परिवीक्षा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का समुचित क्रियान्वन एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु नियुक्त स्टाफ के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया।			
परित्यक्त,निराश्रित मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण पोषण अनुदान	निराश्रित परित्यक्त,मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन का भुगतान किया जाना।		1560		1560	निराश्रित, परित्यक्त,मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान योजनान्तर्गत रु.10.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी जिससे 147 महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-103-91-01-विधवाओं को विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार			407		330	वित्तीय वर्ष 2012-13 में विधवाओं से विवाह करने पर दम्पतियों को पुरस्कार दिये जाने पर रु. 1.10 लाख व्यय की गयी जिससे 10 दम्पतियों को पुरस्कार दिया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-02-103-91-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार	विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया जाना		66		66				
अनुदान संख्या- 31 2235-02-796-91-विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया जाना			11		11				
अनुदान संख्या-15 2235-02-104-03-बृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	60 वर्ष के अधिक आयु के निराश्रित बृद्ध एवं दुर्बल निःसहाय व्यक्तियों हेतु स्थापित बृद्ध अशक्त गृह के संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्ते एवं वृद्धों को भोजन वस्त्र आदि हेतु अधिष्ठान की स्थापना	2190		2185		60 वर्ष के अधिक आयु के निराश्रित बृद्ध एवं दुर्बल निःसहाय व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन आदि उपलब्ध करायी गयी जिससे 20 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।			

<p>अनुदान संख्या-15 2235-02-104-04-भिक्षावृत्ति का निवारण</p>	<p>भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु जनपद हरिद्वार में संचालित भिक्षुक गृह में निरुद्ध भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था एवं सस्था के संचालन हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु अधिष्ठान की स्थापना।</p>	<p>5680</p>		<p>5675</p>	<p>भिक्षावृत्ति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार संचालित भिक्षुक गृह में 102 भिक्षुओं को निःशुल्क आवासीय, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।</p>			
<p>अनुदान संख्या-15 2235-02-104-05-वृद्ध, अशक्त, निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण</p>	<p>विभाग द्वारा संचालित वृद्ध गृह एवं भिक्षुक गृह के अनुरक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था करना</p>		<p>500</p>		<p>-</p>			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-107-03-मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों को अनुदान	गरीब निर्धन तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु अधिष्ठान की स्थापना	600		600		गरीब निर्धन तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु निशुल्क क्राफ्ट एवं सिलाई बुनाई,कढ़ाई का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु नियुक्त अध्यापकों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान पर धनराशि व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-107-91-अनाथों से दाह दफन हेतु स्वेच्छिक संगठनों संस्थाओं का सहायता	संगठनों को सहायता दिया जाना	300		300		अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वेच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-04-निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाना।	2000		2000		उन विधवाओं को जिन्हें विधवा पेंशन मिल रही हो उनकी पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वित्तीय वर्ष 2012-13 में 19.90 लाख की धनराशि व्यय कर 198 विधवाओं को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान देकर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-05-अन्तर्जातीय/ अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	जात-पात का भेदभाव मिटाने हेतु अन्तर्जातीय/ अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये पुरस्कार स्वरूप धनराशि दिया जाना।	250		250		वित्तीय वर्ष 2012-13 में 16 दम्पतियों को पुरस्कार की धनराशि वितरित कर लाभान्वित किया गया।			

अनुदान संख्या-15 2235-02-800-06-विकलांग बेरोजगारों को कोशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना	विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उनके कोशल में वृद्धि करना		500			-			
---	--	--	-----	--	--	---	--	--	--

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-07-योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार -प्रसार	विभागीय योजनाओं की जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाना		2000		1000	विभागीय योजनाओं की जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार -प्रसार किया गया।			
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-08-वरिष्ठ नागरिक एवं बृद्धजन कल्याण समिति	कल्याण समिति द्वारा अनुश्रवण एवं योजनाओं का संचालन		1			-			
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-08-समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	गठित समिति द्वारा विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण किया जाना		2500		2500	-			
अनुदान संख्या- 15 2235-02-800-12-भिक्षावृत्ति का निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन	अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भिक्षावृत्ति जैसी कुप्रथा को समाप्त करना।		500			-			
अनुदान संख्या-15 2235-02-800-91-सम्प्रेक्षण गृहों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाना		3000		20	-			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-60-102-05-सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन दिया जाना	162500	483558	160000	478558	वित्तीय वर्ष 2012-13 में 60 वर्ष से अधिक आयु के 73927 निराश्रित वृद्धजन जिन्हें पूर्ण पेंशन			
अनुदान संख्या-30 2235-60-102-02-01-वृद्धावस्था किसान पेंशन			282500		280000	रु. 400/- प्रतिमाह की दर से राज्यांश से भुगतान किया जा रहा है को पेंशन भुगतान किया गया			
अनुदान संख्या-31 2235-02-796-08-वृद्धावस्था किसान पेंशन				67980		67900			
अनुदान संख्या-15 2235-60-102-91-पेंशन शिविरों का आयोजन	शिविरों का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था,विधवा एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत किया जाना		3000		3000	निराश्रित विधवा, विकलांग एवं बुद्धजनों को उनके क्षेत्र में शिविर आयोजित कर पेंशन का वितरण एवं नवीन पात्र पेंशनरों को पेंशन स्वीकृत किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए. पी.)	राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत पात्र निराश्रित वृद्धजनों, को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन का भुगतान किया जाना।		552420		493767	बी0पी0एल0 श्रेणी के उन वृद्ध व्यक्तियों को जिन्हें केन्द्रांश से धनराशि का भुगतान किया जाता है वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रू. 6800.56 लाख की धनराशि व्यय कर 251438 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0)				256780		218592			
अनुदान संख्या-31 2235-60-800-01-01-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम				45820		35593			
अनुदान संख्या-15 2235-60-800-06-गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिये जनश्री बीमा योजना	बी0पी0एल0 परिवारों के मुखिया की दुर्घटना एवं स्वभाभिवक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	200	49070	200	44163	बी0पी0एल0परिवारों को जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 623790 बी0पी0एल0 परिवारों के बीमा प्रिमियम का भुगतान किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2235-60-800-04-आदिम जनजाति आदि हेतु जनश्री बीमा कम्पनी को प्रिमियम				745		745			
अनुदान संख्या-31 2235-60-800-04-निर्वल वर्ग एवं आदिम जनजाति हेतु जनश्री योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रिमियम				185		185			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4225-03-190-03-पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेत अंश पूंजी	पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अधिकृत अंशपूंजी हेतु।		2000		2000	शासन द्वारा निर्धारित अंश पूंजी को पूरा किया गया			
अनुदान संख्या-15 4225-03-277-01-01-जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण	उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पिछड़ी जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावासों का निर्माण		15000		5000	पिछड़ी जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु रु. 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।			
अनुदान संख्या-15 4235-02-101-05-विकलांग प्रशिक्षण हेतु भवन का निर्माण	विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण		8000			-			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-01-06-समेकित बाल संरक्षण योजना	जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के संचालन हेतु भवन का निर्माण।		5000			-			
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-03-स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	अनाथ बच्चों हेतु आवासीय व्यवस्था हेतु गृह का निर्माण		5000			-			
अनुदान संख्या-15 4235-02-102-04-10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	निराश्रितों हेत आश्रय गृह का निर्माण		2500			-			
अनुदान संख्या-15 4235-02-103-06-किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं के लिये भवन का निर्माण		10000		10000	महिला कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं के लिये भवन का निर्माण इस हेतु देहरादून में नारी निकेतन एवं सम्प्रेक्षण गृह के अतिरिक्त कार्य के निर्माण एवं उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु धनराशि का भुगतान किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 4235-02-103-08-मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का निर्माण	महिलाओं हेतु आवास गृह का निर्माण		2500			-			
अनुदान संख्या-15 4235-02-104-01-01-विकलांगजनो के लिये छात्रावास का निर्माण	विकलांग व्यक्तियों हेतु छात्रावास का निर्माण		1000			-			
अनुदान संख्या-15 4235-02-104-04-वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह का निर्माण	निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण		5000		5000	चमोली में निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवास के निर्माण हेतु रु. 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।			
अनुदान संख्या-15 4235-02-190-03-विकलांगो हेतु स्वरोजगार	निगम को अंशपूजी दिया जाना		500			-			
अनुदान संख्या-30 2225-01-001-06-समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना	स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वित करना	2000		1301		स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना			
अनुदान संख्या-30 2225-01-001-08-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग	समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं,का सम्पादन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग की स्थापना	5405		5405		समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के कल्याणार्थ योजनाओं,का सम्पादन अनुश्रवण एवं सफल क्रियान्वयन किया गया ।			

<p>अनुदान संख्या-30 2225-01-102-03-औद्योगिक आस्थान की स्थापना</p>	<p>औद्योगिक आस्थान में प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना</p>	<p>813</p>		<p>810</p>	<p>अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को दुकान आवंटन कर स्वतःरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं हाट आदि लगाकार परम्परागत उद्योगों को को बढ़ावा देना का विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है जिस हेतु कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि पर धनराशि व्यय की गयी।</p>			
---	--	------------	--	------------	--	--	--	--

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-01-01-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति	दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले जिन छात्रों के अभिवावकों की वार्षिक आय रु.2.00 लाख से कम है उन अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराकर शैक्षिक स्तर को उठाना।	150000	400000	150000	400000	वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत 63152 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया जिस पर रु. 5499.89 लाख की धनराशि छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देने पर व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-01-04-अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चकृत छात्रवृत्ति योजना	अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र/छात्राओं को कक्षा 9से 12 तक रेमिडियल कोचिंग प्रदान करना		1000		1000	अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र/छात्राओं को कक्षा 9से 12 तक रेमिडियल कोचिंग प्रदान करने पर रु.2.38 लाख की धनराशि व्यय कर 19 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	15026		15626		अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के 326 छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में व्यवसायिक /तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-06-आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, बस्त्र एवं आवासीय सुविधा दिया जाना	24960	5325	24955	5320	वित्तीय वर्ष 2012-13 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के 341 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, बस्त्र एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी जिस पर रु. 231.31 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-07-अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु कोचिंग	रुपये 2.00 लाख के कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पूर्व तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किया जाना		5000		5000	अनुसूचित जाति के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किया जाने के लिये 10 कोचिंग सेन्टरों को अनुबन्धित किया गया है जिससे 1053 छात्र लाभान्वित होंगे।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-12-अनुसूचित जाति छात्रावास	अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालयों में अध्ययनरत अवधि में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावासों का संचालन	11328		12114		वित्तीय वर्ष 2012-13 में 377 छात्रों को छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी जिस पर रु. 98.54 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-16-अनुसूचित जाति कक्षा 1से 8 तक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों का शैक्षणिक स्तर में सुधार एवं विस्तार किया जाना	150000	260000	150000	260000	वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के कक्षा 1से 8 में अध्ययनरत छात्रों का छात्रवृत्ति का भुगतान करने पर रु. 3937.11 लाख की धनराशि व्यय की गयी जिससे 439793 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-01-अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों /माता-पिता के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना		2000		2000	वित्तीय वर्ष 2012-13 में 15.40 लाख की धनराशि व्यय कर 834 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-02-पुस्तकालयों/छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार विस्तार	स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पाठशालाओं/ छात्रावासों का संचालन।	7021	6100	7021	5376	जिन स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के बालकों के सर्वांगणीय विकास हेतु प्राईमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है उन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रु. 120.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-03-हाईस्कूल तथा इण्टर मीडिएट की अन्तिम परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवस्था	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा हेतु गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में कोचिंग प्रदान किया जाना		120		120	अनुसूचित जाति के छात्रों को हाई तथा इण्टर मीडिएट परीक्षा में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी में कोचिंग दिये जाने हेतु संचालित 3 कोचिंग सेन्टरों के अध्यापको के मानदेय के भुगतान पर रु. 0.57 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-04-पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 एवं 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को क्षतिपूर्ति किया जाना		1330		1330	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 एवं 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने पर रु. 3.58 लाख की धनराशि व्यय की गयी जिससे 1255 छात्रों को लाभान्वित किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-09-अनुसूचित जाति राजकीय छात्रावासों का सुदृढीकरण	विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित छात्रावासों को अनुरक्षण		1200		1200	वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजनान्तर्गत रु. 11.99 लाख की धनराशि व्यय कर विभाग द्वारा संचालित 6 अनुसूचित जाति के छात्रावासों की रंगाई पोताई, मरम्मत आदि किया गया।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-10-राजकीय अनुसूचित जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण		400		400	वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु. 3.92 लाख की धनराशि व्यय कर विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के 1 रा.आश्रम पद्धति विद्यालयों में रंगाई पोताई, मरम्मत आदि किया गया			
अनुदान संख्या-30 2225-01-277-91-11-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण		2554		2550	विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों माधनचौड एवं बागेश्वर हेत मशीनों के क्रय करने पर रु. 24.77 लाख की धनराशि व्यय की गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-793-01-06-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जीवन यापन हेतु स्वतःरोजगार उपलब्ध कराकर समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना		50000		50000	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वतःरोजगार उपलब्ध कराने के लिये मार्जिन मनी के भुगतान हेतु रु. 500.00 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध करायी गयी।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-05-अनुसूचित जातियों के विकास के लिये परियोजना हेतु सहायता	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु परियोजना स्थापित कर उनकी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना		1002			-			
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-06-अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्राप्ति योजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन		1000		1000	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षित करने हेतु रु. 10.00 लाख की धनराशि निगम को उपलब्ध करायी गयी।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-07-शिल्पी ग्राम योजना	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को विभाग द्वारा स्थापित शिल्प ग्राम में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना		1000		1000	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित व्यक्तियों को विभाग द्वारा स्थापित शिल्प ग्राम में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को रु. 10.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-08-नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 156 का क्रियान्वनयन	अनुसूचित जाति के अत्यार से उत्पीडित व्यक्ति को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना		3500		3500	अनुसूचित जाति के अत्यार से उत्पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने पर रु. 26.27 लाख की धनराशि व्यय कर 71 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-11-अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार कार्यशाला सर्वेक्षण शोध प्रचार प्रसार	विभाग द्वारा अनुसूचित जाति क कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु कार्यशाला,शोध एवं प्रचार प्रसार कर जनसामान्य तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाना		1500		1500	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ सेमिनार, योजनाओं के प्रचार प्रसार आदि पर धनराशि का व्यय किया गया।			
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-15-अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के आवास विहीन व्यक्तियों हेतु अटल आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराना		30000		30000	अनुसूचित जाति के आवास विहीन व्यक्तियों हेतु आवास उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु. 299.98 लाख की धनराशि व्यय की गयी जिससे 870 आवास विहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये गये।	अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को 1433 आवास उपलब्ध कराये गये।		

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 2225-01-800-91-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ।		37500		45000	वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के गरीबी परिवारों को उनकी पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने पर रु. 449.90 लाख की धनराशि व्यय कर 2652 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ।			
अनुदान संख्या-30 4225-01-190-03-स्वरोजगार अंशपूँजी	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास नि०लि० को अधिकृत अंशपूँजी उपलब्ध कराना		4000		4000	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास नि०लि० को अधिकृत अंशपूँजी उपलब्ध करायी गयी ।			
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-01-01-वावू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण	ग्रामिण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना		30000		5000	वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद बागेश्वर में एक बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु रु. 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।			
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-02-अनुसूचित जाति छात्रावास	अनुसूचित जाति के बालकों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना		3000			-			

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउट कम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-03-अनुसूचित जाति हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण		3000		3000	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पार्स, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु रु. 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।			
अनुदान संख्या-30 4225-01-277-04-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को प्राईमरी शिक्षा की सुविधा निःशुल्क शिक्षा, आवासीय एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छात्रावास का निर्माण		6000			-			
अनुदान संख्या-30 4225-01-800-03-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें जैसे पेयजल, सडक विद्युत, सार्वजनिक भवन निर्माण आदि उपलब्ध कराना		300000		299970	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें जैसे पेयजल, सडक विद्युत, सार्वजनिक भवन निर्माण किये जाने हेतु जनपदों को धनराशि अवमुक्त की गयी है।			
अनुदान संख्या-30 4235-02-800-03-निदेशालय का भवन निर्माण	निदेशालय के स्वयं का भवन निर्माण कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराकर कार्यक्षमता का बढ़ाना		8000		3150	निदेशालय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु. 31.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।			

5.

वित्तीय समीक्षा
योजनावार प्राविधान तथा व्यय

अनुदान संख्या-15	प्राविधानित धनराशि वर्ष 2012-13		कुल व्यय		
	Plan	Non Plan	Plan	Non Plan	Total
निदेशालय अधिष्ठान		140.07		117.68	117.68
जिला कार्यालयों का अधिष्ठान		907.39		868.76	868.76
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन		50.27		46.44	46.44
पिछड़ी जाति दरामोत्तर छात्रवृत्ति(100प्र.के.स.)	4935.61	70	1149.62	69.95	1219.57
पिछड़ी जाति कक्षा 1 से 10तक की छात्रवृत्ति(50प्र.के.स.)	120	270	117.15	269.62	386.77
कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन		6		5.4	5.4
निःशक्तजन अधिनियम,1995 का क्रियान्वयन (100प्र.के.स.)	11.06		11.05		11.05
विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालाएँ		72.26		66.8	66.8
दक्ष विकलांग कर्मचारियों तथा उनके सेवायोजकों को पुरस्कार	7		3.5		3.5
विकलांग युवक/युवतियों को शादी करने पर प्रोत्साहन		20		14.2	14.2
विकलांगों हेतु शिविर/समिनारों का आयोजन		1.5		1.39	1.39
विकलांग छात्रवृत्ति	20	25	19.92	15.9	35.82
विलाग जन अधिनियम1995के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	10.01	17.67		15.04	15.04
विकलांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन याजना-निगम	20		20		20
प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर विकलांग पुर्नवास केन्द्र की स्थापना	65				0
निःशक्तजनों के द्वारा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति	80		127.75		127.75
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान योजना	15		12.16		12.16
विकलांग पेशान (राज्यांश)	2756.45		2756.42		
विकलांग पेशान (केन्द्रांश)			63.71		2820.13
विकलांग व्यक्तियों हेतु दुकान निर्माण याजना	0.01				0
समेकित बाल संरक्षण योजना(आई.सी.पी.एस.)	100				0
परिवेक्षा सेवा क्षेत्र		97.06		74.33	74.33
बाल कल्याण कोट बोर्ड की स्थापना		35.1		30.87	30.87
संस्थानों/गृहों का संचालन	62.61	506.73	57.01	425.35	482.36
स्ट्रीट थिन्ड्रन हेतु गृह का संचालन	15				0
महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना		3.6		3.05	3.05
अनैतिक व्यापार निरोधक अधि.1966 के सं० की स्थापना		7.4		2.24	2.24
गौरा देवी कन्याघन योजना	5610.5		5610.5		5610.5
मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	5				0
निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान-राज्यांश	1657	1700	1565.64	1699.09	
निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान-केन्द्रांश			250.52		3515.25
विभागीय संस्थाओं से मुक्त अर्न्तवासियों का पुर्नवासन	20				0
महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	5		1.25		1.25
परिवेक्षा सेवा मुख्यालय	0.03	16.18		3.95	3.95

परित्यक्त, निराश्रित, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान	15.6		10.1		
विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार	3.3		0.77		0.77
बृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह		21.9		17.4	17.4
शिक्षावृत्ति का निवारण		56.8		42.72	42.72
बुद्ध, अशक्त, नि. निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण	5				0
मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान		6		6	6
अनाथों के दाह दफन हेतु स्वीच्छक संगठनों को सहायता		3		2.39	2.39
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान		20		19.9	19.9
अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन		2.5		1.6	1.6
विकलांग बेरोजगारों के को बृद्धि प्र.यो.-निगम	5				0
योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार	20		9.88		9.88
वरिष्ठ नागरिक एवं बृद्धजन कल्याण समिति	0.01				0
समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति	25		25		25
शिक्षावृत्ति निवृत्त अधिनियम का क्रियान्वयन	5				0
सम्प्रदाय गृहों आदि का अनुक्षण एवं सुदृढीकरण	30		0.2		0.2
सामाजिक सुस्था के अन्तर्गत बृद्धावस्था पेंशन	4835.58	1625	4776.31	1599.83	6376.14
पेंशन शिपर्स का आयोजन	30		28.09		28.09
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन (एनओएसओपीओ) 100प्र.के.स.)	5524.2		4640.57		4640.57
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			167.2		167.2
जनश्री बीमा योजना-निगम	490.7	2	441.63	2	443.63
पिछड़ी जाति निगम हेतु अंशपूँजी	20		20		20
जिला मुख्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण 100प्र.के.स.	150		50		50
विकलांग प्रशिक्षण हेतु मूँगे क्रय, निर्माण	80				0
सर्माकित बाल संरक्षण योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (75प्र.के.स.)	50				0
स्ट्रीट बिल्डिंग हेतु गृह का निर्माण	350				0
10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	25				0
किशोरव्यय(बालकों का संरक्षण) अन्तर्गत गृहों का निर्माण	100		100		100
18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं, महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	25				0
विकलांगों के लिये छात्रावास का निर्माण 80प्र.के.स.	10				0
बुद्ध, अशक्त आवास गृह निर्माण	50		50		50
विकलांग स्वरोजगार अंश पूँजी-निगम	5				0
योग : अनुदान संख्या-15	27369.67	5683.43	14836.06	4711.84	19547.9

अनुदान संख्या 30 अनुसूचित जाति कल्याण योजना का नाम	आय-व्ययक द्वारा प्राविधानित धनराशि वर्ष 2012-13		कुल व्यय		
	Plan	Non Plan	Plan	Non Plan	Total
राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (60प्र0के0स0)		20		13.01	13.01
अनुसूचितजाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय		54.05		38.32	38.32
औद्योगिक आस्थान अधिष्ठान व्यय		8.13		7.35	7.35
अनुसूचित जाति दरमात्तर छात्रवृत्ति (100प्र0के0स0)	4000	1500	3999.96	1499.93	5499.89
मैरिट उच्चकृत छात्रवृत्ति(100प्र0के0स0)	10		2.38		2.38
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		150.26		150.01	150.01
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	53.25	249.6	43.4	187.91	231.31
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना	50		50		50
अनुसूचित जाति छात्रावास		113.28		98.54	98.54
गौरा देवी कन्या धन योजना	600		600		600
अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति	2600	1500	2583.53	1353.58	3937.11
अस्वच्छ पेसा छात्रवृत्ति 60प्र.के.स.	20		15.4		15.4
पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	61	70.21	53.76	66.49	120.25
हाई स्कूल तथा इण्टर के अनुसूचित जाति के छात्रों की परीक्षा पूर्व कोषिग की योजना	1.2		0.57		0.57
परीक्षा पूर्व शुलक क्षतिपूर्ति	13.3		3.58		3.58
अनु. जाति राजकीय छात्रावासों का अनुसूक्षण एवं सुदृढीकरण	12		11.99		11.99
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुसूक्षण एवं सुदृढीकरण	4		3.92		3.92
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण सं. का अनुसूक्षण एवं सुदृढीकरण	25.54		24.77		24.77
स्व.कम्पो. प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-निगम (100प्र0के0स0)	500		500		500
अनुसूचित जातियों के विकास के लिये परियोजना हेतु सहायता	10.02				0
जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना-निगम	10		10		10
शिल्पी ग्राम योजना-निगम	10		10		10
नागरिक अधिकार (संरक्षण)अ. 1986 का क्रिया-न्वयन(60प्र0के0स0)	35		26.27		26.27
अनु0जाति/जनजाति कल्याण सं. सं. /कर्मशाला	15		12.55		12.55
अटल आवास योजना	300		299.98		299.98
अनु0जाति के व्यक्तियों की बीमारी तथा पुत्रियों की शादी अनु.	375		449.9		449.9
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान	19		9.59		9.59
विकलांग पेंशन (राज्यांश)	826.41		826.41		
विकलांग पेंशन-केन्द्रांश			32.88		859.29
विकलांग दुकान निर्माण	0.01				0
निराश्रित विधवा पेंशन योजना (एस0सी0पी0)-राज्यांश	520	650	519.96	641.33	
निराश्रित विधवा पेंशन योजना (एस0सी0पी0)-केन्द्रांश			101.72		1263.01
विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार योजना	0.66		0.33		0.33
बृद्धावस्था पेंशन योजना (एस0सी0 पी0)	2825		2437.14		2437.14
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेंशन एन0 एस0ए0पी0(100प्र0के0स0)	2567.8		1866.89		1866.89
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			58.9		58.9

जनश्री योजना-निगम	7.45		7.45		7.45
स्वराजगार अशर्पुजी-निगम	40		40		40
बाबू जनगजीवन राम बालिका छात्रावास का निमाण 100प्र.के.स.	300		50		50
छात्रावासों का निर्माण(60प्र0के0स0)	30				0
आइ0टी0आई का भवन निर्माण	30		30		30
राजकीय आश्रम पहाडि विद्यालय का भवन निर्माण	60				0
अनुजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	3000		2999.7		2999.7
निदेशालय का भवन निर्माण	80		31.5		31.5
योग : अनुदान संख्या-30	19011.64	4315.53	17714.43	4056.47	21770.9
अनुदान संख्या 31 अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना का नाम	आय-व्ययक द्वारा प्राकियानित धनराशि वर्ष 2012-13		कुल व्यय		
	Plan	Non Plan	Plan	Non Plan	Total
निराश्रित विधवा पेंशन योजना (टी0एस0पी0) -राज्यांश	172	78.2	171.84	69.58	
निराश्रित विधवा पेंशन योजना (टी0एस0पी0) -केन्द्रांश			17.3		258.72
विकलांग पेंशन-टी.एस.पी.	204.2		203.72		
विकलांग पेंशन-केन्द्रांश			5.01		208.73
वृद्धावस्था पेंशन	679.8		500.42		500.42
कृतिम/श्रवण यंत्र अनुदान	4		2.8		2.8
विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार	0.11				0
हन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एन0एस0पी0 पी0 (100प्र0के0स0)	458.2		293.1		293.1
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			14.4		14.4
जनश्री बीमा योजना-निगम	1.85		1.85		1.85
योग : अनुदान संख्या-31	1520.16	78.2	990.54	50.56	1041.1
कुल योग अनुदान संख्या-15,30एवं 31	47901.47	10077.16	41010.82	9547.95	50548.67

(पी0एल0शैल)

वित्त अधिकारी

निदेशालय समाज कल्याण,उत्तराखण्ड

हल

